सत्यमेव जयते
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान
DIRECTORATE OF CENSUS OPERATIONS, RAJASTHAN
6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर–302004
6-B, JHALANA DOONGRI, JAIPUR-302004
दूरभाष/Phone : 0141- 2708078, 2709177 फैक्स/ Fax: 2707090
ई-मेल/ E-mail : dco-raj.rgi@censusindia.gov.in

D-31011/2/2014-15/ Dated:

मैसर्स ....

....

....

....

विषय : जनगणना कार्यालय भवन में साफ–सफाई कार्य हेतु 2 एम.टी.एस. उपलब्ध करवाने बाबत।

महोदय,

संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6 बी झालाना डूंगरी, जयपुर के कार्यालय भवन के कमरों/कम्प्यूटर हॉल/वर्कस्टेशन/बेसमेन्ट रिकार्ड रुम, रोड क्षेत्र, गार्डन क्षेत्र एवं खाली क्षेत्र में दैनिक झाडू पोंछा सफाई, सभी शोचालय की धुलाई करना आदि सम्पूर्ण साफ–सफाई कार्य हेतु एवं अन्य सामान्य कार्यालयी कार्य हेतु 2 एम.टी.एस. (सफाई कर्मियों) की आवश्यकता है।

इस संबंन्ध में मानव श्रम उपलब्ध करवाने के लिये राजस्थान सरकार से लाईसेन्स धारक फर्मो से निविदाये आमन्त्रित की जाती है। उक्त कर्मियों द्वारा पूर्ण कार्यालय समय (प्रातः 8.30 से सांय 5.00 बजे तक) में अथवा समय–समय पर कार्यालय द्वारा निर्देशानुसार शिफ्ट ड्यूटी आधार पर कार्यालय भवन 3928 Sq. Mt. एवं परिसर 4326 Sq. Mt में साफ–सफाई (फिक्चर्स/फर्निचर्स/टाईल्स/उपकरणों सहित) कार्य करना होगा।

मानव श्रम उपलब्ध करवाने में सक्षम फर्म कार्यालय समय में रुपये 50/– के भुगतान पर निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण प्राप्त कर सकती है। निविदाये डबल बोली (बिड) सिस्टम् में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक–पृथक लिफाफों में बंद कर पुनः एक लिफाफें में बन्द कर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

भवदीय,

(अविनाश शर्मा)
सहायक निदेशक(का.प्र.)

सामान्य शर्ते –:

1. शर्ते एवं निविदा प्रपत्र दिनांक 22.08.16 से 09.09.16 दोपहर 12.00 बजे तक जनगणना कार्य निदेशालय, 6 बी झालाना डूंगरी, जयपुर से कमरा नं. 208 से रुपये 50/– के भुगतान पर सभी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते है।
2. कोटेशन पत्र प्रस्तुत करने वाली फर्म को वैद्य अनुज्ञा धारक होना आवश्यक है एवं फर्म को कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिये।
3. मानव श्रम उपलब्ध करवाने वाली फर्मो से जो तकनिकी रुप से प्रमाणित एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रर्ड़ हो, अपने श्रमिकों का ई.पी.एफ./ई.एस.आई आदि देय लाभों की कटौती करती हो तथा राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार श्रमिकों को न्यूनतम वेतन (अकुशल श्रमिक) का भुगतान करती हो।
4. बोली (बिड) सेक्योरिटी की राशि रुपये 5000/– का डीडी/पे आर्डर/बैकर्स चैक जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैकों से जारी हो, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जयपुर को देय हो, प्रस्तुत करना आवश्यक है। सफल आवेदक फर्म की अमानत राशि सफलता पूर्वक कार्य करने एवं अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने पर बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
5. निविदाएं दिनांक 22.08.16 से 09.09.16 को 3.00 बजे तक कमरा नं. 104 में सहायक निदेशक (कार्यालय प्रमुख) जनगणना कार्य निदेशालय, 6 बी झालाना डूंगरी, जयपुर को प्रस्तुत की जा सकेगी। दिनांक 13.09.16 को 11.00 बजे निविदा खोलने वाली समिति द्वारा उपस्थिति निविदादाताओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष तकनिकी निविदाऐं खोली जायेगी इसके उपरान्त सफल तकनिकी बोली वाली फर्मो की वित्तीय बोली वाली निविदाऐं खोली जायेगी। इस दिन अवकाश होने की स्थिति में संबंधित प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर होगी।
6. निविदादाता निविदा भरने से पहले भण्डार अनुभाग में सम्पर्क करके भवन सफाई कार्य के सम्पूर्ण स्थानों की जानकारी ले लेवे। इस सम्बन्ध में बाद में कोई वाद मान्य नही होगा।
7. फैक्स/टेलीग्राफ/निर्धारित प्रपत्र/बिना अमानत राशि के प्राप्त कोटेशन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
8. निविदा दाता फर्म का कोई रिश्तेदार जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान जयपुर में कार्यरत नही होना चाहिए इस संबंध में आवश्यक घोषणा पत्र निर्धारित प्रारुप अनुभाग–4 के अनुसार निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा।

अ. मालिकाना फर्म के मामले में – मालिक द्वारा
ब. सांझेदारी फर्म के मामले में – प्रत्येक सांझेदार द्वारा
स. कम्पनी/संस्था के मामले में – कम्पनी/संस्था के प्रत्येक निदेशक द्वारा

9. निविदा दाता को निम्न मामलों में उनके आगे लिखे दस्तावेजों की प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।

अ– मालिकाना फर्म के मामले में – कोई ऐसा दस्तावेज जो मालिकाना फर्म को प्रमाणित कर सके।

ब– साझेदारी फर्म के मामले में– साझेदारी संलेख और पावर आफ अटार्नी यदि कोई एक साझेदार या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर किया जाये।

स– कम्पनी/संस्था के मामले में– मेमोरेण्डा आफ आर्टीकल और मेमोरेण्डा आफ ऐसोशियसन तथा पावर ऑफ अटार्नी यदि कोई एक निदेशक या किसी प्रतिनिधि अन्य पदाधिकारी द्वारा निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर किया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं सील

निविदा दो भागों में भरी जाएगी और निम्नानुसार अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी

1. पहला लिफाफा तकनीकी भाग **(**टेक्नीकल बोली (बिड) **“A”)**

इसमें निम्न प्रपत्र संलग्न होगेः

अ बयाना राशि का डीडी/पे आर्डर/बैकर्स चैक

ब श्रमिक आपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी वैध अनुज्ञा–पत्र

स निविदा आमन्त्रण सूचना में यथा वर्णित तीन वर्ष का अनुभव का प्रमाण–पत्र ।

द निविदा प्रपत्र का अनुभाग 1 से 5 तक

य निविदा प्रपत्र के सभी पन्नो पर निविदा दाता के हस्ताक्षर और पदनाम तथा निविदा दाता फर्म की सील लगानी आवश्यक है।

उक्त लिफाफे को उचित ढंग से चिपका कर चपडी से या सेलोटेप से सीलबन्द किया जावे उपरोक्त लिफाफा पर **अग्रलिखित** पता लिखा होना चाहिये

मानव श्रम (एम.टी.एस.) उपलब्ध करवाने हेतु निविदा

<u>तकनीकी भाग</u>

सेवामें,

संयुक्त निदेशक,

जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान,

6–बी, झालाना डूंगरी

जयपुर

लिफाफे के बांए कोने पर निविदादाता फर्म का नाम और पता व मोबाईल नम्बर लिखें

....

2. <u>दूसरा लिफाफा वित्तीय भाग **(** निविदा फार्म **“B”)** वित्तीय बोली (बिड)</u>

इस लिफाफे में पूर्ण रुप से भरा हुआ निविदा फार्म “B” के सभी कॉलम पूर्ण रुप से भरकर निविदादाता के हस्ताक्षर, नाम, पता, मोबाईल नम्बर मय सील के रख कर उचित ढंग से चिपका कर चपडी से या सेलो टेप से सीलबन्द किया जाये। उपरोक्त लिफाफे पर निम्नानुसार पता लिखा होना चाहिये।

संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6 बी झालाना डूंगरी, जयपुर

निविदा दर

सेवामें,

संयुक्त निदेशक,

जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान,

6–बी, झालाना डूंगरी

जयपुर

लिफाफे के बांए कोने पर निविदादाता फर्म का नाम और पता एवं मोबाईल नम्बर लिखें।

....

3. निविदा खोलना :–

पहले मूल लिफाफे जिसमें तकनीकी भाग और वित्तीय निविदा वाला लिफाफा रखा होगा उसे खोला जाएगा फिर तकनीकी भाग वाला लिफाफा खोला जाएगा उसमें पाये गये प्रपत्रों की जांच की जायेगी तथा पात्रता की शर्ते पूर्ण होने पर ही दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा खोला जाएगा। तकनीकी और वित्तीय निविदा वाले दोनो लिफाफे निविदा खोलने वाली समिति द्वारा ही खोले जाएंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं सील

अनुभाग – 2

(तकनीकी बोली निविदा फार्म **"A"** लिफाफे में प्रस्तुत करने हेतु)

कार्य का विवरण व शर्ते:

1. मानव श्रम उपलब्ध करवाने वाली फर्मो को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपबलब्ध करवाये गये साफ–सफाई कर्मी कार्य स्थल पर आवश्यक अनुशासन के अनुसार कार्य करे। अनुशासनहीनता के किसी भी मामले पर उस कर्मी को तुरन्त प्रभाव से हटाकर उसके स्थान पर दूसरा सफाई कर्मचारी लगाना होगा।
2. मानव श्रम उपलब्ध करवाने वाली फर्म को सुनिश्चित करना होगा कि उपलब्ध कराये गये कर्मियों का बैंक खाता आधार से जुडा हुआ होने चाहिये तथा उनको भुगतान आधार से जुडे हुए बैंक खाते में ही करना होगा। फर्म द्वारा कर्मियों के खाते में भुगतान का वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही निदेशालय द्वारा फर्म के बिलो का भुगतान जारी किया जाएगा।
3. कार्यालय फर्म द्वारा उपलब्ध कराये कर्मियों के आधार कार्ड होने चाहिये तथा कर्मियों की दैनिक उपस्थिति आधार बायोमेट्रिक अथवा कार्यालय रजिस्ट्रर से की जायेगी।
4. उपलब्ध कराये गये कर्मियों के EPF, ESIC आदि की कटौती फर्म को करनी होगी। कटौती की गई EPF, ESIC आदि की राशि का भुगतान फर्म द्वारा EPF, ESIC आदि खाते में राशि जमा कराने का चालना प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।
5. फर्म को कर्मियों की उपलब्धता प्रतिदिन (प्रातः 8.30 से सांय 5.00 बजे तक) सुनिश्चित करनी होगी। रविवार के अतिरिक्त इन्हें केवल एक अवकाश देय होगा। शनिवार एवं रविवार को भी आवश्यकता अनुसार उपस्थित होना होगा।

6. अ– कर्मी का कार्य संतोषजनक नही होने पर विभाग उस माह के प्रतिदिन के अनुपातिक आधार पर कटौती करने का हकदार होगा।
   ब– प्रतिदिन भवन की पूर्ण सफाई करना आवश्यक है।
   स– किसी भी कार्य दिवस में कर्मियों के अनुपस्थित रहने पर उस कार्य दिवस का भुगतान नही किया जायेगा। एवंम विभाग द्वारा उस दिन लगाऐ गऐ अनुबन्धित कर्मियों पर किये खर्चे की उस माह के बिल से कटौती की जायेगी। इसके अतिरिक्त 500/– की पैनल्टी उस दिन के लिए लगाई जायेगी।
   द– बार–बार अनुपस्थित रहने तथा संतोषजनक कार्य नही होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की रिपोर्ट मिलने पर निविदा निरस्त कर जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

7. फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये गये कर्मियों द्वारा निम्न कार्य किए जाने है :
   1. भवन व परिसर की सम्पूर्ण सफाई
   2. फर्निचर्स/फिक्चर्स की साफ–सफाई

3. भवन की धुलाई एवं आवश्यकतानुसार वैक्यूम क्लीनर या अन्य सफाई उपकरणों से कक्ष, गलियारा, परिसर आदि की सफाई
4. बाथरूम/टायलेट आदि की सफाई ।
5. परिसर एवम् गैलेरी में रखे सामान को स्थानान्तरित करना।
6. अन्य समस्त कार्य जो सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जावें

8. सफाई कार्य के पश्चात उपबलब्ध कूडे आदि के निष्पादन की व्यवस्था स्वयं फर्म द्वारा अपने खर्चे पर करनी होगी। सफाई के दौरान सफाई कर्मियो द्वारा किसी भी प्रकार की टूट–फूट के भुगतान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी। अन्यथा बिल के भुगतान में से कटौती कर ली जावेगी।

9. फर्म द्वारा उचित कार्य बिल, स्वीकृत दरों के अनुसार प्रत्येक माह की समाप्ति पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उचित प्रमाण–पत्र के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

10. अनुमोदित दर के अनुसार साल भर के कार्य की कुल लागत राशि का 10 प्रतिशत राशि जमानत के रुप में जमा करानी होगी। उस राशि में फर्म द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर शेष राशि सहायक निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, जयपुर के पास अनुबंध करने से पूर्व बैंक गारंटी के रुप में जमा करानी होगी। जमानत राशि पर ब्याज देय नही होगा।

11. एम.टी.एस. (सफाई कर्मियों) को वेतन पर्चियां फर्म द्वारा जारी की जानी चाहिये एवं राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के नियमों का पालन किया जाना चाहिये।

12. सफाई कर्मियों को ई.एस.आई. डिस्पेन्सरी से नियमित अन्तराल से अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक है।

13. भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा यदि टैक्स टी.डी.एस. आदि बनते हो तो व भी फर्म के प्रस्तुत बिल से काट लिया जायेगा।

14. कार्यावधि के दौरान कर्मी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना/बीमारी होने पर दवा, इलाज आदि का दायित्व फर्म का होगा।

15. फर्म द्वारा अनुबंध सबलेट करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

16. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जाएगा।

17. सक्षम अधिकारी जनगणना विभाग जयपुर द्वारा किये गये अनुबंध की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर उन्ही दरों व शर्तो पर अनुबंध अगले तीन माह के लिए और बढाया जा सकता है जिसे फर्म को मान्य होगा।

18. सक्षम अधिकारी जनगणना विभाग जयपुर स्वीकृत अनुबंध को एक सप्ताह का नोटिस देकर बिना कारण बताये जनगणना विभाग के हित में निरस्त कर सकते है।

19. निविदा में अगर कोई मोटी त्रृटि/कमी महसूस किया जाता है कि जिसका प्रभाव निविदादाता की रैंकिंग पर नही पडता है तो प्राधिकृत अधिकारी उस कमी की पूर्ति में छूट दे सकते है।

20. सक्षम अधिकारी जनगणना विभाग जयपुर /प्राधिकृत अधिकारी किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार रखते है, एवं न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नही है।

21. अनुबन्ध अवधि में राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी/ईपीएफ/ईएसआई आदि दरों में परिवर्तन का प्रभाव अनुबन्ध की दरों पर नही पडेगा। उक्त परिवर्तन फर्म द्वारा वहन किये जावेंगें।

22. एम.टी.एस. (सफाई–कर्मी) के उम्र 20 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। कर्मी पूर्ण स्वस्थ होने चाहिये एवं भारी कार्य करने में सक्षम होने चाहिये।

23. निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जनगणना कार्य निदेशालय को होगा तथ किसी प्रकार के वाद/विवाद का क्षेत्र जयपुर होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>अनुभाग – 4</u>

<u>तकनीकी बोली वाले लिफाफे में प्रस्तुत करने हेतु घोषणा</u>

मै/ हम ....पुत्र..
....निवासी ....
एतद्द्वारा प्रमाणित करते है कि जैसे कि निविदा दस्तावेज में परिभाषित किया गया है। मेरे/हमारे कोई सबंधी/रिश्तेदार जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर में कार्यरत नही है। इस मामले में दी गई सूचना असत्य/झूंठ पायी जाती है तो जनगणना विभाग को मुझे बिना किसी पूर्व सूचना दिये किसी भी तरह की कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा।

इस प्रयोजन के निकट संम्बन्धियों/रिश्तेदारों को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है।

1. अविघटित हिन्दू परिवार के सदस्य ।
2. वे पति और पत्नि हो।
3. एक दूसरे से पिता, माता, पुत्र, पुत्रवधू एवं दामाद, भाई, भाभी, बहिन, बहनोई के रुप में सम्बन्धित हो।

निविदादाता के हस्ताक्षर

टिप्पणी : प्रोपराईटर शिप फर्म के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र मालिक द्वारा दिया जाएगा साझेदारी फर्म के मामलें में सभी साझेदार तथा लिमिटेड कम्पनी के मामले में कम्पनी के सभी निदेशक प्रमाण पत्र देंगें। मालिक/सभी साझेदारों/सभी निदेशकों के मोहर सहित हस्ताक्षर

अनुभाग – 5

सेवामे,

संयुक्त निदेशक
जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान,
6–बी झालाना डूंगरी, जयपुर

विषय : दिनांक ....को खोली जाने वाली निविदा की बोली के लिए उपस्थित होने का प्राधिकार।

....बोलीकर्ता की ओर से उपर्युक्त वर्णित निविदा की बोली खुलने के समय निम्नलिखित व्यक्तियों को निम्न वरीयतानुसार उपस्थित होने के लिए एत्‌दद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	नमूना हस्ताक्षर
1.		
2.		

उपरोक्त हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

टिप्पणी : बोली खुलने के समय एक प्रतिनिधी को ही उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

यदि उपर्युक्त निर्दिष्ट प्राधिकार की पालना नही होती है तो निविदा खोली जाने वाले हॉल में प्रवेश की अनुमति की मनाही हो सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा फार्म “A”

टेक्नीकल बोली (बिड़)

1. निविदादाता फर्म का पूरा नाम	....
2. निविदादाता फर्म का पूरा पता पिनकोड सहित	....
3. निविदादाता फर्म का प्रकार यथा मालिकाना, सांझेदारी, फर्म, कम्पनी/संस्था	
4. टेलिफोन नं.	लेण्ड लाईन .... मोबाईल ....
5. बयाना राशि का विवरण	
6. आयकर स्थाई खाता नं. (पेन नं.)/**टिन** नं0	
7. आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि के पंजीयन संख्या (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)	पंजीयन सं. ....
8. सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र का विवरण मय छाया प्रति	पंजीयन सं. ....
9. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरकर्ता का नाम फर्म में पद या हैसियत	
10. अन्य कोई विवरण	

मै यह घोषणा करता हूॅ कि उपरोक्त वर्णित तथ्य मेरी जानकारी व विश्वास में सत्य है। मै यह भी घोषणा करता हूॅ कि निविदा में वर्णित समस्त नियम व शर्ते मैने भली भांती पढ व समझ ली हैं तथा मुझे स्वीकार है एवं समय–समय पर मै इनका पालन करता रहूॅगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

<u>निविदा फार्म **“B”**</u>

वित्तीय बोली (बिड)

(अ) प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर रु. ....

(ब) उक्त दर का विभाजन :

क्र.सं.	विवरण	राशि	प्रतिशत
1	प्रति व्यक्ति मासिक देय राशि (राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक की मजदूरी से कम नही होनी चाहिये)		
2	ई.पी.एफ. कटौती		
3	ई.एस.आई. कटौती		
4	सर्विस चार्जेज		
5	सर्विस टेक्स		
6	बोनस यदि देय है तो		

विशेष :–1. सर्विस चार्ज नही दर्शाने या शून्य दर्शाने पर दरें स्वीकार्य नही होगी।

2. फर्म को ई.पी.एफ/ई.एस.आई. कटौतियों का भुगतान फर्म द्वारा सम्बन्धित कर्मी के खाते में उक्त राशि जमा कराने के प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त ही किया जाएगा।

3. फर्म को मासिक भुगतान तभी किया जाएगा जब फर्म द्वारा कर्मी के आधार लिंक्ड बैंक खाते में भुगतान किये जाने का वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

4 कर्मी की उपस्थिति की गणना निदेशालय द्वारा प्रमाणित की जाएगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....